

डीएचवी बीवी

बनाम

ताहल परामर्श इंजीनीयर्स लिमिटेड एवं अन्य

12 सितंबर, 2007

(डी. के. जैन, जे.,)

मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996:

धारा 11 - मध्यस्थ की नियुक्ति-प्राधिकरण की नियुक्ति की शक्तियाँ-प्रकृति और कार्यक्षेत्र:- यह तय करने के उद्देश्य से कि मध्यस्थता प्रक्रिया शुरू की जानी है या नहीं, मुख्य न्यायाधीश या उनके नामित व्यक्ति को इस बात की जांच करनी होगी और अपनी संतुष्टि दर्ज करनी होगी कि पक्षकारों के मध्य एक मध्यस्थता करार अस्तीत्व में है और करार के संबंध में एक जीवंत प्रश्न, जो पक्षकारों के बीच तय किया जाना है, अभी भी अस्तीत्व में है-इतना संतुष्ट होने पर, वह आवेदन की अनुमति दे सकता है और एक मध्यस्थ न्यायाधिकरण या एकल मध्यस्थ नियुक्त कर सकता है, जैसा भी मामला हो-हालाँकि, यदि वह पाता है और आश्वस्त है कि दावा मृत/पुराना है या परिसीमा द्वारा स्पष्ट रूप से वर्जित है, तो वह ऐसा कर सकता है और मध्यस्थ की नियुक्ति के अनुरोध को अस्वीकार कर सकता है।

धारा 11 (6) अनुबंध पूरा होने के बाद मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए आवेदन-परामर्श अनुबंध- नियोक्ता द्वारा सलाहकार को किए जाने वाले भुगतान पर वहन की जाने वाली आयकर देयता निर्धारित करने वाले पक्षों के बीच समझौता-अनुबंध पूरा होने और प्रदान की गई सेवाओं के लिए प्राप्त भुगतान के बाद, सलाहकार को आयकर अधिनियम की धारा 148 के तहत आयकर विभाग से नोटिस प्राप्त हुआ- नियोक्ता द्वारा अनुबंध के संबंध में सलाहकार से किया गये प्रश्नों पर प्रेषण पर आयकर के भुगतान के संबंध में दावा:-

(1) क्या अनुबंध पूरा होने के बाद भी पक्षकारों के बीच एक प्रवर्तन किये जाने योग्य मध्यस्थता करार है और

(2) क्या सलाहकार का दावा पुराना था और परिसीसीमा द्वारा वर्जित था-

अभिनिर्धारित:- यह अनुबंध का प्रवर्तन था जो समाप्त हो गया था, लेकिन अनुबंध अभी भी अस्तित्व में है क्योंकि इसके खंड 1.10 के अन्तर्गत उत्पन्न होने वाला विवाद, यानी सलाहकार को किए गए भुगतान पर आयकर का भुगतान करने की देयता का संबंध है-पक्षों के बीच एक प्रवर्तनीय मध्यस्थता समझौता मौजूद है-आयकर बकाया के संबंध में सलाहकार द्वारा किया गया दावा पक्षकारों के बीच मध्यस्थता समझौते के दायरे में आएगा-इसके बाद आयकर विभाग द्वारा अतिरिक्त भुगतान का

सृजन नियोक्ता द्वारा सलाहकार को भुगतान के संबंध में एक जीवंत विवाद को जन्म दिया है।

मध्यस्थता करार के संदर्भ में पक्षकारों के बीच समझौते की आवश्यकता-इस प्रकार, प्रथम दृष्टया, सलाहकार द्वारा किया गया दावा परिसीमा द्वारा वर्जित नहीं है इसलिए, आवेदन की अनुमति है-मध्यस्थ नियुक्त किया गया।

एस. बी. पी. एंड कंपनी वी. पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड और अन्य 2005, 4 एससीआर सप्लीमेंटरी 688, (2005) 8 एस. सी. सी. 618, पर भरोसा किया।

सिविल मूल न्यायनिर्णय: मध्यस्थता याचिका संख्या 17/2006

(मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 11 (6) के तहत)

संजय बंसल, एच. एस. भट्टी, जी. के. बंसल और रीपक कंसल - याचिकाकर्ता की ओर से

प्रमोद दयाल और आर. नेदुमारन - उत्तरदाताओं के लिए

न्यायालय द्वारा आदेश दिया गया था

डी. के. जैन, जे.

1. यह याचिका मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 (संक्षेप में 'अधिनियम') की धारा 11 (6) के अन्तर्गत पक्षकारों के मध्य उत्पन्न हुए विवादों के निर्णय के लिए मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए है।

2. याचिकाकर्ता मेसर्स डीएचवी कंसल्टेंट्स बीवी (संक्षेप में 'डीएचवी') एक विदेशी कंपनी है जो नीदरलैंड में पंजीकृत होकर विमानन में परामर्श और इंजीनियरिंग समूह जल प्रबंधन और जल योजना में विशेषज्ञता के साथ पर्यावरण, परिवहन और जल में स्थानिक योजना सेवाएं प्रदान करती है। प्रत्यर्थी संख्या 1 मेसर्स ताहल कंसल्टिंग इंजीनियर्स लिमिटेड (इसके बाद 'ताहल' के रूप में संदर्भित किया जायेगा) भी इजराइल में स्थित एक सलाहकार विदेशी कंपनी है और प्रत्यर्थी संख्या 2 जल संसाधन संगठन, पीडब्ल्यूडी, तमिलनाडु सरकार (इसके बाद में 'टीएनपीडब्ल्यूडी' के रूप में संदर्भित किया जायेगा) के रूप में है।

3. इस याचिका के निस्तारण के लिए प्रासंगिक तथ्य इस प्रकार हैं:

1 दिसंबर, 1997 को एक समझौता (जिसे आगे मुख्य अनुबंध के रूप में संदर्भित किया जायेगा)

ताहल टी. एन. पी. डब्ल्यू. डी. सहित डी. एच. वी. और दो अन्य संस्थाओं, अर्थात् जर्मनी के लाहमेयर इंटरनेशनल और इंजीनियरिंग सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड, कंसल्टिंग के साथ मुख्य अनुबंध पर उप-सलाहकार के रूप में तमिलनाडु जल के लिए प्रबंधन परामर्श और तकनीकी

सहायता सेवाएं प्रदान करने के लिए जल संसाधन समेकन परियोजना पर हस्ताक्षर किए गए थे। इसके बाद मुख्य अनुबंध के संबंध में सेवाएं प्रदान करने के लिए ताहल और डी. एच. वी. के बीच मार्च, 1998 में एक और उप-परामर्श समझौता (जिसे इसके बाद 'उप-अनुबंध' के रूप में संदर्भित किया जायेगा) हस्ताक्षर किए गए जिसका दायरा दोनों करार की शर्तों में परिभाषित किया गया था।

4. मुख्य अनुबंध की विशेष शर्तों के खंड 1.10 के अनुसार, टी. एन. पी. डब्ल्यू. डी. ने किए जाने वाले भुगतानों पर सलाहकार, उप-सलाहकार और उनके कर्मचारियों को आयकर देनदारियों को वहन करने पर सहमति व्यक्त की थी। डी. एच. वी. को प्रमुख सलाहकार होने के नाते ताहल के माध्यम से सभी भुगतान प्राप्त करने थे। अनुबंध का विधिवत निष्पादन किया गया और डी. एच. वी. ने प्रदान की गई सेवाओं के लिए उनके द्वारा उठाए गए चालान(इनवोईस) के संबंध में सभी भुगतान प्राप्त किए। अंतिम भुगतान जनवरी, 2003 में किसी समय प्राप्त हुआ था और मामला वहीं ठहर गया था।

5. फरवरी, 2004 के किसी समय डी. एच. वी. को आयकर अधिनियम की धारा 148 के तहत आयकर विभाग से नोटिस प्राप्त हुए। उक्त अनुबंध के संबंध में टी.एन.पी.डब्ल्यू.डी. द्वारा किए गए प्रेषण पर आयकर का भुगतान न करने का आरोप लगाते हुए निर्धारण वर्ष 1997-98

से 2001-02 उक्त निर्धारण वर्षों के लिए उन्हें अपनी आय की विवरणी जमा करनी आवश्यक थी। पहले तो ऐसा लगा कि डी. एच. वी. ने उक्त नोटिसों पर आपत्ति जताई लेकिन बाद में आय की अपेक्षित वापसी(रिटर्न), जिसमें टी. एन. पी. डब्ल्यू. डी. से प्राप्तियां भी शामिल हैं को जमा करवा दिया। डी. एच. वी. के अनुसार, उक्त नोटिसों की प्राप्ति पर उन्हें पता चला कि उत्तरदाताओं ने टी.एन.पी.डब्ल्यू.डी. द्वारा ताहल को किए गए भुगतान पर लागू करों का भुगतान करने में चूक की थी, जिसके परिणामस्वरूप 500 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आयकर मांग का सृजन हुआ। जिसे उन्हें दंडात्मक परिणामों से बचने के लिए भुगतान करने के लिए मजबूर किया गया था।

6. 15 मार्च, 2005 को उक्त अतिरिक्त मांग का भुगतान करने के बाद डी. एच. वी. ने ताहल और टी. एन. पी. डब्ल्यू. डी. को विधिक नोटिस जारी कर 1 दिसंबर, 1997 के मुख्य अनुबंध की सामान्य शर्तों के खंड 8.1 के संदर्भ में सौहार्दपूर्ण रूप से विवाद के निस्तारण के लिए कहा गया। हालाँकि, दोनों प्रत्युत्तरदाताओं ने डी. एच. वी. को उक्त राशि की प्रतिपूर्ति करने के अपने दायित्व से इनकार कर दिया। प्रत्युत्तरदाताओं द्वारा समझौता करने से इनकार करने पर विवाद, 21 अप्रैल, 2005 को, डी. एच. वी. ने मुख्य अनुबंध के खंड 8.2 के संदर्भ में विवादों को एकल मध्यस्थता के लिए संदर्भित करने की मांग करते हुए प्रत्युत्तरदाताओं को

एक और नोटिस जारी किया। दोनों प्रत्यर्थियों ने विवादों को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करने से इनकार कर दिया, जिससे मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए वर्तमान याचिका दायर करना आवश्यकता हो गया

7. ताहल और टी. एन. पी. डब्ल्यू. डी. दोनों ने इस याचिका का विरोध करते हुए जवाबी शपथ पत्र प्रस्तुत किया।

ताहल की आपत्ति यह रही कि:-

(1) वह मुख्य अनुबंध जिसके अन्तर्गत डी. एच. वी. ने मध्यस्थता की मांग की थी, मध्यस्थता दायर करने से लगभग चार-पांच साल पहले समाप्त हो गया था और इसलिए, पक्षकारों के मध्य कोई मौजूदा मध्यस्थता करार नहीं था

(2) तथाकथित विवाद एक तकनीकी मामला नहीं होने के कारण समझौते की सामान्य शर्तों (मुख्य अनुबंध) के खंड 8 की परिधि में नहीं आता है और

(3) ताहल करों के भुगतान से संबंधित किसी भी संविदात्मक दायित्व के तहत किसी भी समय बाध्य नहीं था, ऐसा दायित्व पूरी तरह से और कठारता से टीएनपीडब्ल्यूडी का था।

टीएनपीडब्ल्यूडी मुख्य रूप से इस आधार पर याचिका का विरोध किया कि:-

(1) डी. एच. वी. को उप-सलाहकार होने के कारण उनके लिए मध्यस्थता समझौते को लागू करने का कोई अधिकार नहीं है क्योंकि डी. एच. वी. को टी. एन. पी. डब्ल्यू. डी. से सीधे कोई भुगतान प्राप्त नहीं हुआ था ;

(2) डी. एच. वी. का दावा 'परिसीमा से वर्जित है क्योंकि मुख्य अनुबंध 31 मार्च, 2002 को समाप्त हो गया था और ;

(3) याचिका दायर करने का कोई कारण नहीं था क्योंकि प्रमुख सलाहकार ताहल को भुगतान पर जो भी आयकर काटा जाना था, वह भारतीय स्टेट बैंक में विधिवत जमा किया गया था और आवश्यक विवरण आयकर विभाग में दाखिल किए गए थे ;

8. मैंने पक्षकारों की विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी। जैसा कि ऊपर बताया गया है, मध्यस्थ की नियुक्ति पर प्रत्युत्तरदाताओं की आपत्ति मुख्य रूप से दो प्रकार से है-

(1) मार्च/अप्रैल, 2002 में मुख्य अनुबंध के पूरा होने के बाद और 30 जनवरी, 2003 को अंतिम भुगतान पर अनुबंध समाप्त हो गया था और इसलिए, कोई वैध मध्यस्थता समझौता अस्तित्व में ही नहीं था और;

(2) डी. एच. वी. का दावा पुराना/नीरस है और परिसीमा द्वारा वर्जित है;

9. अनुबंध के संपूर्ण कर के दायित्व का विधिवत निर्वहन कर दिया गया है, इस प्रस्ताव के समर्थन में टी.एन.पी.डब्ल्यू.डी. के विद्वान वकील ने आयकर अधिकारियों के साथ कुछ पत्राचार की ओर मेरा ध्यान आकर्षित किया, जिसमें अनुबंध के अन्तर्गत भुगतान पर आयकर की कटौती की दर को दर्शाया गया है। प्रत्युत्तरदाताओं के विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा कि एस. बी. पी. एंड कंपनी बनाम पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड और अन्य में इस न्यायालय के निर्णय को देखते हुए उठाए गए मुद्दों पर मुझे निर्णय लेना होगा।

वही दूसरी ओर डी. एच. वी. के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि-

खंड 1.10 के संदर्भ में कर देयता के संबंध में विवाद पुराना होना नहीं कहा जा सकता है क्योंकि यह केवल तभी उत्पन्न हुआ जब डी. एच. वी. को फरवरी, 2004 में आयकर विभाग से नोटिस मिला, जिसमें उन्हें टी.एन.पी.डब्ल्यू.डी. से प्राप्त राशि पर आयकर का भुगतान करने की आवश्यकता थी। यह तथ्य भी प्रस्तुत किया गया कि उक्त नोटिसों की प्राप्ति से पहले, डी. एच. वी. के पास शिकायत करने का कोई कारण नहीं था, क्योंकि उसे प्राप्त किये गए चालान (इनवाईस) के विरुद्ध पूर्ण भुगतान प्राप्त हुआ था। इस प्रकार यह दलील दी जाती है कि उनके आवेदन के निपटारे के लिए कार्यवाही का वाद कारण केवल फरवरी, 2004 के महीने

में ही सामने आ गया था। इसके अलावा, डी. एच. वी. के लिए विद्वान वकील का रुख यह है कि परिसीमा के बिन्दू पर अंततः मेरे द्वारा निर्णय नहीं लिया जाना है क्योंकि पर पर अधिनियम की धारा 16 के अन्तर्गत मध्यस्थ द्वारा निर्णायक रूप से निर्णय लिया जाना है।

10. इस प्रकार, मेरे सामने विचार करने के लिए प्रश्न यह है कि:-

(1) क्या मार्च/अप्रैल 2002 में अनुबंध पूरा होने के बाद भी पक्षों के बीच एक प्रवर्तनीय मध्यस्थता करार है ? और

(2) क्या डी. एच. वी. द्वारा किया गया दावा पुराना/नीरस है और परिसीमा द्वारा वर्जित है?

11. निष्पादित किए जाने वाले कार्य की प्रकृति के संबंध में विवाद यह परिभाषित करना आवश्यक है कि अधिनियम की धारा 11 के तहत एक आवेदन पर विचार करते समय सीजे या उनके नामित व्यक्ति को क्या निर्धारित करना आवश्यक है । मुख्य न्यायाधीश पी. के. बालासुब्रमण्यन, जे., ने बहुमत ने कहा: वास्तव में अधिनियम की धारा 11 के तहत एक आवेदन पर निर्णय लेना है जाहिर है, उसे इस अर्थ में अपना अधिकार क्षेत्र खुद तय करना होगा। क्या प्रस्ताव देने वाली पार्टी ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।

यह परिभाषित करना आवश्यक है कि मुख्य न्यायाधीश ने अधिनियम की धारा 11 के तहत एक आवेदन पर निर्णय लेने में वास्तव

में क्या गौर किया था। जाहिर है, उन्हें इस अर्थ में अपना अधिकार क्षेत्र खुद तय करना होगा, क्या पार्टी ने सही तरीके से उच्च न्यायालय का रुख किया है। उसे यह तय करना होगा कि क्या ऐसा कोई मध्यस्थता करार है जिसे अधिनियम में परिभाषित किया गया है और क्या वह व्यक्ति जिसने अनुरोध किया है उससे पहले, ऐसे समझौते का एक पक्षकार है। यह इंगित करना आवश्यक है कि वह इस प्रश्न का भी निर्णय कर सकता है कि क्या दावा मृत था या एक लंबे समय से अवरुद्ध दावा जिसे पुनर्जीवित करने की मांग की गई थी और क्या पक्षकारों ने पारस्परिक अधिकारों और दायित्वों की संतुष्टि दर्ज करके या बिना किसी आपत्ति के अंतिम भुगतान या लेन-देन का समापन कर लिया है।

यह इस स्तर पर यह तय करना संभव नहीं हो सकता है, किया गया दावा मध्यस्थता खंड में आता है या नहीं। यह तय करने के लिए कि क्या किया गया आवेदन मध्यस्थता खंड के अंतर्गत आता है तो यह इस प्रश्न को मध्यस्थ न्यायाधिकरण पर छोड़ना समुचित होगा कि मध्यस्थता में शामिल दावों पर साक्ष्य लिया जाकर उस पर गुणावगुण पर निर्णय लिया जाये। मुख्य न्यायाधीश को यह तय करना होगा कि अधिनियम की धारा 11(6) के तहत मध्यस्थ नियुक्त करने की शर्तों को पूरा किया है या नहीं। इन पहलुओं पर निर्णय लेने के उद्देश्य से मुखिय न्यायाधीश या तो शपथ पत्र और दस्तावेजों के आधार पर आगे बढ़ सकते हैं या ऐसे साक्ष्य प्रस्तुत

करने या लेने को कह सकते हैं जैसे भी आवश्यक हो। हमारा मानना है कि इस प्रक्रिया को अपनाना न्यायालय के दरवाजे को खटकाये बिना व विभीन्न चरणों से गुजरें बिना अधिनियम के संदर्भ में प्रासंगिक उद्देश्य को सर्वोत्तम रूप से पूरा करेगा।

12. उपरोक्त पैरा से यह स्पष्ट है कि मध्यस्थता प्रक्रिया को गति देने के लिए, निर्धारित करने के लिए मुख्य न्यायाधीश या उनके नामित व्यक्ति को क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र और पक्षकारों के बीच मध्यस्थता समझौते के अस्तित्व के मुद्दों पर निर्णय लेना होता है। इसके अलावा, वह यह तय कर सकता है कि आवेदन इस अर्थ में एक मृत था कि पक्षों ने पहले ही अपने आपसी अधिकारों और दायित्वों की संतुष्टि दर्ज करके लेनदेन समाप्त कर लिया है या अपने वित्तीय दावों के संबंध में संतुष्टि दर्ज कर ली है। फिर भी, न्यायालय ने यह स्पष्ट कर दिया कि उस स्तर पर यह तय करना संभव नहीं हो सकता है कि क्या किया गया आवेदन, मध्यस्थता खंड के दायरे में आता है या नहीं और इस प्रश्न को मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा साक्ष्य लेकर तय करने के लिए छोड़ दिया जाना चाहिए। इसलिए यह स्पष्ट है कि विशुद्ध रूप से यह तय करने के उद्देश्य से कि मध्यस्थता प्रक्रिया को शुरू किया जाना है या नहीं, मुख्य न्यायाधीश या उनके नामित व्यक्ति को अपनी जांच को रिकार्ड कर इस बात पर संतुष्ट होना होगा कि पक्षकारों के मध्य एक मध्यस्थता करार

मौजूद है और वह समझौते के संबंध में एक ज्वलंत प्रश्न अभी भी मौजूद है, जिसे पक्षकारों के बीच तय किया जाना है या यदि उसे यह पता चलता है और इस बात से आश्वस्त है कि दावा पुराना/नीरस है या स्पष्ट रूप से परिसीमा द्वारा वर्जित है उस समय वह मध्यस्थ की नियुक्ति के अनुरोध को अस्वीकार कर सकता है।

13. इन सिद्धांतों को उपलब्ध तथ्यों पर लागू करते हुए, मेरी राय है कि याचिका स्वीकार किये जाने योग्य है। इस संदर्भ में, मुख्य अनुबंध का हिस्सा बनने वाले अनुबंध की विशेष शर्तों के खंड 1.10 का उल्लेख करना उचित होगा, जिसमें सभी पक्ष यहां हस्ताक्षरकर्ता हैं। जहाँ तक यह हमारे उद्देश्य के लिए प्रासंगिक है, यह निम्नानुसार है:-

निम्नलिखित के संबंध में सलाहकारों और कार्मिकों पर: विदेशी सलाहकारों/कार्मिकों के लिए ग्राहक गारंटी देता है कि ग्राहक सलाहकारों और कार्मिकों की ओर से लागू विधि के तहत लगाए गए किसी भी कर, शुल्क, शुल्क, लेवी और अन्य अधिरोपण का भुगतान करेगा ;

ए) सेवाओं के कार्यान्वयन के संबंध में सलाहकारों, उप-सलाहकारों और उनमें से किसी एक के कार्मिक (अब स्थायी रूप से भारत में रहने वाले भारतीय नागरिकों या विदेशी नागरिकों के अलावा) को किया गया कोई भी भुगतान ;

(बी) सेवाओं को पूरा करने के उद्देश्य से सलाहकारों या उप-सलाहकारों द्वारा भारत में लाए गए किसी भी उपकरण, सामग्री और आपूर्ति और जिसे ऐसे क्षेत्रों में खरीदे जाने के बाद में उनके द्वारा वापस ले लिया जाएगा;

(सी) सेवाओं को पूरा करने के उद्देश्य से आयातित कोई उपकरण और ग्राहक द्वारा प्रदान की गई धनराशि से भुगतान किया गया और जिसे ग्राहक की संपत्ति माना जाता है।

(डी) कंसल्टेंट्स द्वारा भारत में लाई गई कोई भी संपत्ति, कोई भी उप-सलाहकार, उनमें से किसी एक के कार्मिक (भारतीय नागरिकों या भारत के स्थायी निवासियों के अलावा), या ऐसे कार्मिकों के पात्र आश्रितों को उनके व्यक्तिगत उपयोग के लिए और जिन्हें बाद में भारत से उनके संबंधित प्रस्थान पर उनके द्वारा वापस ले लिया जाएगा, बशर्ते कि: -

(1) सलाहकार, उप-परामर्शदाता और कार्मिक और उनके पात्र आश्रित, भारत में संपत्ति आयात करने में सरकार की सामान्य सीमा शुल्क प्रक्रियाओं का पालन करेंगे और ;

(2) यदि सलाहकार, उप-सलाहकार या कार्मिक, या उनके पात्र आश्रित, भारत देश में किसी भी संपत्ति को वापस नहीं लेते हैं, बल्कि उसका निपटान करते हैं, जिस पर सीमा शुल्क और करों से छूट दी गई है, तो सलाहकार, उप-परामर्शदाता या कार्मिक, जैसे भी मामला हो ;

(I) सरकार के नियमों के अनुरूप ऐसे सभी सीमा शुल्क और करों का वहन किया जायेगा;

(II) यदि संबंधित संपत्ति को सरकार के देश में लाए जाने के समय ग्राहक द्वारा भुगतान किया गया था, तो ग्राहक को उनकी प्रतिपूर्ति की जाएगी ;

14. उक्त खंड के तहत, टीएनपीडब्ल्यूडी ने एक ग्राहक के रूप में सलाहकारों, उप-सलाहकारों और कर्मियों की ओर से लागू विधि के तहत लगाए गए किसी भी कर, बकाया, शुल्क आदि का भुगतान करने का दायित्व लिया था। साथ ही, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि इसके खंड (डी) के अनुसार, न केवल कुछ स्थितियों में करों (टेक्स) आदि का भुगतान करने का दायित्व है, बल्कि यह भी अभिनिर्धारित है कि सलाहकारों द्वारा ग्राहक को कुछ राशि की प्रतिपूर्ति भी की जाती है, जिसे ग्राहक भुगतान करने के लिए बाध्य किया गया था। जाहिर है, ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है और यह खंड सेवाओं के पूरा होने और भुगतान किए जाने पर अनुबंध की समाप्ति के बाद भी लागू होगा। इसलिए, इसे एक अमूर्त प्रस्ताव के रूप में नहीं रखा जा सकता है कि जब भी अनुबंधित कार्य पूरा हो जाएगा। अनुबंध के तहत पक्षकारों के सभी अधिकार और दायित्व, वास्तव में, समाप्त हो जाते हैं और मध्यस्थता समझौता भी अनुबंध के साथ समाप्त हो जाता है। प्रत्येक मामले पर उसके अपने तथ्यों के आधार

पर विचार करना आवश्यक है। वर्तमान मामले में, हालांकि यह सच है कि सभी भुगतान टीएनपीडब्ल्यूडी द्वारा सलाहकारों, अर्थात् ताहल को किए जाने थे, लेकिन करों का भुगतान करने का दायित्व उन भुगतानों के संबंध में भी था जो उप-परामर्शदाताओं द्वारा प्राप्त किए जाने थे। , अर्थात् उप-खंड (ए) के संदर्भ में डीएचवी। इसी प्रकार, डीएचवी के साथ-साथ ताहल भी उपर्युक्त खंड के अनुसार टीएनपीडब्ल्यूडी को उनके द्वारा भुगतान की गई राशि, यदि कोई हो, की प्रतिपूर्ति करने के लिए बाध्य थे। इस प्रकार, यह अनुबंध का निष्पादन था जो समाप्त हो गया था, लेकिन जहां तक इसके खंड 1.10 के तहत उत्पन्न होने वाले विवाद का संबंध है, अनुबंध अभी भी अस्तित्व में है। इसलिए, मेरे पास टीएनपीडब्ल्यूडी के विद्वान वकील की इस दलील को खारिज करने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि जहां तक करों के भुगतान का संबंध है, डीएचवी का उनके साथ कोई सीधा अनुबंध नहीं है, इसलिए उनके द्वारा उठाया गया विवाद टीएनपीडब्ल्यूडी के ग्राहक और ताहल सलाहकार के बीच मध्यस्थता समझौते के दायरे में नहीं आ सकता है या अनुबंध के पूरा होने पर, मुख्य अनुबंध में मध्यस्थता खंड विलुप्त हो गया है। इसलिए, मेरी राय में, पार्टियों के बीच एक लागू करने योग्य मध्यस्थता समझौता मौजूद है।

15. मुख्य अनुबंध का खंड 8.2 मध्यस्थता के अधिकार का प्रावधान करता है जो निम्न प्रकार से है:-

"मध्यस्थता का अधिकार इस अनुबंध के तहत उत्पन्न होने वाले मामलों में पक्षकारों के बीच कोई भी विवाद जिसे एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष के ऐसे सौहार्दपूर्ण समाधान के अनुरोध की प्राप्ति के बाद 30 दिनों के भीतर सौहार्दपूर्ण ढंग से नहीं सुलझाया जा सकता है।"

16. मध्यस्थता समझौता स्पष्ट शब्दों में है और मुख्य अनुबंध के अनुसार उत्पन्न होने वाले मामलों के पार्टियों के बीच किसी भी विवाद को इसके दायरे में लाता है जिसे सौहार्दपूर्ण ढंग से नहीं सुलझाया जा सकता है। माना जाता है कि करों का भुगतान करने का दायित्व अनुबंध से आता है, अन्यथा नहीं। यह पाया गया कि उप-सलाहकारों को किए गए भुगतान के संबंध में कर दायित्व का निर्वहन करना टीएनपीडब्ल्यूडी के लिए अनिवार्य था और डीएचवी मुख्य अनुबंध का हस्ताक्षरकर्ता था, मेरी राय है कि आयकर के संबंध में डीएचवी द्वारा किया गया दावा बकाया राशि पार्टियों के बीच मध्यस्थता समझौते के दायरे में आएगी।

17. जहां तक इस संबंध का प्रश्न है कि क्या उक्त दावे को इस अर्थ में पुराना/मृत कहा जा सकता है कि जहां तक कि भुगतान के तहत मुख्य अनुबंध का प्रश्न है, जनवरी, 2003 में अंतिम भुगतान के बाद, यहां तीनों पक्षों में से किसी के पास एक-दूसरे के खिलाफ कोई भी दावा लंबित नहीं था, मेरा विचार है कि इस तथ्य के बावजूद कि डीएचवी द्वारा उठाए गए सभी चालानों(इनवाईस) के विरुद्ध भुगतान किया गया था, खंड 1.10

के संदर्भ में पक्षकारों के बीच समझौते के आलोक में, बाद में अतिरिक्त आय द्वारा एक भुगतान का निर्माण किया गया। ताहल के माध्यम से टीएनपीडब्ल्यूडी द्वारा डीएचवी को किए गए भुगतान के संबंध में कर विभाग ने मध्यस्थता समझौते के संदर्भ में पक्षकारों के बीच निस्तारण की आवश्यकता वाले एक जीवंत विवाद को जन्म दिया है। मैंने जो दृष्टिकोण अपनाया है, उसके अनुसार यह स्वयंसिद्ध है कि प्रथम दृष्टया, डीएचवी द्वारा किया गया दावा सीमा से वर्जित नहीं है।

18. उपरोक्त कारणों से याचिका स्वीकार की जाती है और जैसा कि पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता ने प्रार्थना की है, एक मध्यस्थ न्यायाधिकरण का गठन करने के बजाय, इस न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति पीके बालासुब्रमण्यन को दावों पर निर्णय लेने के लिए एकल मध्यस्थ के रूप में नियुक्त किया गया है। डीएचवी द्वारा उठाए गए विवाद, उसकी सहमति और ऐसी शर्तों के अधीन होंगे जिन्हें वह समुचित और योग्य समझे। यह बातने की आवश्यकता नहीं है कि विद्वान मध्यस्थ इस आदेश में दिये गये किसी भी निष्कर्ष से प्रभावित हुए बिना पक्षकारों के विवाद पर आवेदन का निस्तारण करेगा।

19. रजिस्ट्री को निर्देश दिया जाता है कि वह इस आदेश को विद्वान मध्यस्थ को सूचित करे ताकि वह संदर्भ में अवलोकन करें और

मामले को यथासंभव शीघ्र तय कर सके। कोस्ट के संबंध में बिना किसी आदेश के याचिका का निस्तारण किया जाता है।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी डॉ. पीयूष जैलिया (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।